न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्याः 119/2021

तारीख रजू 15.03.2021

नजीर खॉ पुत्र ईस्माइल खॉ जाति मुसलमान निवासी बहतेड तह0मलारना डूँगर।

......अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूँगर ।

.....रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 19.04.2021

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के आदेश दिनांक 21.06.1989 नामान्तर करण संख्या 1256 वाके ग्राम बहतेड के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1541/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1989 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल नामान्तरकरण जिल्द प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है अपीलान्ट की आवंटित शुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 1540/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांक 30.06.1981 आराजी खसरा नम्बर 1540/3 का तस्दीक किया गया तत्पश्चात जल्दबाजी में नामान्तरकरण संख्या 1256 अप्रीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.1989 को नामान्तरकरण संख्या 1256 खसरा नम्बर 1541/3 का विधि विरूद्व तरीके से खिलाफ कानून जाकर तस्दीक कर दिया गया। यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली उप उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि अपीलान्ट को दिनांक 26.06.1981 को साबिक खसरा नम्बर 1540/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से वाके ग्राम बहतेड में 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटन नियमों के मुताबिक आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांक 30.06.1981 को गैर खातेदारी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 1540/3

अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:06:19 IST
Reason: SelfAttested

का तस्दीक किया गया जो नियमों के मुताबिक किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद कर दिया गया। आवंटन के पश्चात से लेकर आज दिनांक तक साबिक खसरा नम्बर 1540/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बहतेड पर काबिज काश्त है। यह है कि दिनांक 21.06.1989 को रेस्पोडेन्ट (नायब तहसीलदार मलारना डूँगर) ने राजस्व केंप बहतेड में जल्दबाजी में आराजी खसरा नम्बर 1540/3 के स्थान पर 1541/3 दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट प्रारम्भ से अराजी खसरा नम्बर 1540/3 पर काबिज काश्त है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने पूर्व, पूर्व का राजस्व रिकार्ड का काई अवलोकन नहीं किया और जल्दबाजी में उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमों के विपरित जाकर तस्दीक कर दिया इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.1989 खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1541/3 पर अपीलान्ट कभी काबिज काश्त नहीं रहा अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 1540/3 पर सदैव से है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना मौका क़ब्जे की जॉच किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है तथा नामान्तरकरण नियमों मेडेटरी को बोईलेशन कर साजकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा नामान्तरकरण नियम 119 से 125 की कोई पालना नहीं की गयी है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। यह है कि अपीलान्ट को आवंटन दिनांक 26.06.1981 को साबिक खसरा नम्बर 1540/3 का वाके ग्राम बहतेड में किया गया। तथा गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांक 30.06.1981 को साबिक खसरा नम्बर 1540/3 करबा 1 बीघा 12 बिस्वा मुताबिक आवंटन सही दर्ज किया लेकिन गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण जल्दबाजी में बिना मौका कब्जा जॉच किये गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 1541/3 को खोल दिया गया। साबिक खसरा नम्बर 1540/3 के हाल खसरा नम्बर 2807/3419 पर अपीलान्ट काबिज काश्त है तथा अपीलान्ट के खाते में भू–प्रबन्ध विभाग ने आराजी खसरा नम्बर 2805 वे 2806 गलत रूप से दर्ज कर दिये है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उपरोक्त किया गया कृत्य अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र के बाहर है। आराजी खसरा नम्बर 2805 वे 2806 वाके ग्राम बहतेड पर अपीलान्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है जबकि हाल खसरा नम्बर 2807/3419 पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया नामान्तरकरण निमयों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अन्त में वकील·अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार पारित आदेश दिनांक 21.06.1989 व नामान्तरकरण संख्या 1256 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेरोकार सरकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट को आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 1540/3 करबा 1 बीघा 12 बिस्वा का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण मौके पर कब्जा होने की स्थिति में खसरा नम्बर 1540/3 जगह 1541/3 को खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमिता/अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः नायब मलारना डूॅगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1989 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1540/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 26.06.1981 को किया गया था तत्पश्चात नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा आवंटन को सही मानते हुये अपीलान्ट के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 1540/3 का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांक 30.06.1981 द्वारा तस्दीक किया गया। राजस्व अभियान केम्प बहतेड दिनांक 21.06.1989 को नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 1540/3 गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण नहीं खोला जाकर बिना सम्यंक जॉच किये बिना ही खसरा नम्बर 1541/3 का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो अवैधानिक एवं नियमों के विपरित होने एवं बिना विवेव से पारित किया हुआ आदेश प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र अपील साथ पेश किया जिसे स्वीकार किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1989 व नामान्तरकरण संख्या 1256 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूँगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट को आवंटित शुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 1540/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2807/3419 वाके ग्राम बहतेड का नामान्तरकरण अपीलान्ट पक्ष में दस्तीक करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:06:19 IST
Reason: SelfAttested